

भाग-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर, 2022

संख्या का०आ० 71/ह०अ० 11/1994/घा० 209/2022.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 68/ह०अ० 11/1994/घा० 209/2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के प्रति-निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 में, नियम 28 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (क) किसी वार्ड से पंच की दशा में, दो सौ पचास रुपये की राशि तथा जहां कोई उम्मीदवार एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो एक सौ पच्चीस रुपये की राशि;
- (ख) किसी सरपंच की दशा में, पांच सौ रुपये की राशि तथा जहां कोई उम्मीदवार एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो दो सौ पचास रुपये की राशि;
- (ग) किसी पंचायत समिति के सदस्य की दशा में, सात सौ पचास रुपये की राशि तथा जहां कोई उम्मीदवार एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो तीन सौ पचहत्तर रुपये की राशि;
- (घ) किसी जिला परिषद् के सदस्य की दशा में, एक हजार रुपये की राशि तथा जहां कोई उम्मीदवार एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो पांच सौ रुपये की राशि।।

अनिल मलिक,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 2nd September, 2022

No. S.O. 71/H.A. 11/1994/S. 209/2022.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, notification No. 68/H.A. 11/1994/S.209/2022, dated the 17th August, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, in rule 28, in sub-rule (1), for clauses (a), (b), (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - “(a) in case of panch from any ward, a sum of two hundred and fifty rupees and where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Backward Class, a sum of one hundred and twenty-five rupees;
 - (b) in case of Sarpanch, a sum of five hundred rupees and where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Backward Class, a sum of two hundred and fifty rupees;
 - (c) in case of a member of Panchayat Samiti, a sum of seven hundred and fifty rupees and where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Backward Class, a sum of three hundred and seventy-five rupees;
 - (d) in case of a member of Zila Parishad, a sum of one thousand rupees and where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Backward Class, a sum of five hundred rupees.”.

ANIL MALIK,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.